15-04-26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वाके ग्राम बल्लभगढ़ की आराजीयात में प्रार्थी के बाबा की ~~///~~ वल्दियत हब्बू पुत्र मूली के स्थान पर हब्बू पुत्र कन्हैया राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से दर्ज हो गया जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र, खाता संख्या 49 जमाबंदी संवत 2075-78 में सही नाम दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा नाम शुद्ध किये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेजी ~~क~~ रिकॉर्ड का भली भाँति अवलोकन किया। उक्त के आधार पर हम नाम शुद्ध किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, नुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 914 रकबा 0.32 हैक्टे. वाके ग्राम बल्लभगढ़ तह. नुसावर में प्रार्थी के बाबा स्व. हब्बू पुत्र कन्हैया की गलत वल्दियत को दुरुस्त कर हब्बू पुत्र मूली राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

[illegible] अधिकारी
नुसावर ([illegible]) राजस्थान